mail

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/हेफेड/211/2275 भोपाल दिनांक 18/01/2023

प्रति,

प्रबंध संचालक
हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और
विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड)
कॉरपोरेट ऑफिस, सेक्टर 5, पंचकुला
हरियाणा

विषयः- म.प्र.कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन स्वीकृत नवीन विशेष अनुज्ञप्ति मे धान जोडे जाने के संबंध मे

संदर्भः-1/ इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/बी-6/नियमन/हेफेड/211/1274 दिनांक 13/05/2022

2/ हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) का आवेदन दिनांक 30/11/2022

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 1 से हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) को नवीन विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2020/17 दिनांक 13/05/2022 स्वीकृत की गई है।

2/ हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) के द्वारा आवेदन दिनांक 30/11/2022 मे किए गए अनुरोध अनुसार संशोधित विशेष अनुज्ञप्ति जारी की जा रही है। (परिशिष्ट-अ)

3/ पूर्व मे स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति आदेश दिनांक 13/05/2022 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

संलग्नः-परिशिष्ट-अ

18/01/23
(जी. व्ही. रश्मि)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

C:\Users\Acer\Desktop\sandeep folder 2022-23\sandeep letter.doc

क्रमांक/बी-6/नियमन/हेफेड/211/ 2276 भोपाल दिनांक 18/01/2023

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त/उप संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय भोपाल/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/ग्वालियर/रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। **हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड)** को म.प्र. कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम **4, 8, 10** के अधीन **अधिसूचित कृषि उपज "धान्य तथा दलहन"** के लिए स्वीकृत की गई है । अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे। साथ ही आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मण्डी समिति को दी जाये।

2. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति.................................. जिला................................ म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। हरियाणा **राज्य सहकारी** आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) को कृषि उपज मण्डी (एक से अधिक मण्डी क्षेत्रो के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के नियम **4, 8, 10** के अधीन जारी उपरोक्तानुसार **अधिसूचित कृषि उपज "धान्य तथा दलहन"** के लिए स्वीकृत की गई है । अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करावे। छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

3. अपर संचालक (आई.टी सेल), म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारी हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) को स्वीकृत संशोधित विशेष अनुज्ञप्ति को ई-अनुज्ञा मॉड्यूल मे आवश्यक प्रविष्टि किया जाये।

18/01/23

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

C:\Users\Acer\Desktop\sandeep folder 2022-23\sandeep letter.doc

<u>संशोधित</u> परिशिष्ट-अ

प्ररूप - तीन

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय

किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2020/17 दिनांक 13/05/2022

दिनांक 18/01/2023 को **यथासंशोधित**

(एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों मे अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष अनुज्ञप्ति)

1 श्री/श्रीमती/कुमारी/मेसर्स **<u>हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड)</u>** पता **<u>कॉरपोरेट ऑफिस, सेक्टर 5, पंचकुला, हरियाणा</u>** को अधिनियम की धारा 32-क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मंडी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार हेतु तारीख **13/05/2022** को स्वीकृत नवीन विशेष अनुज्ञप्ति अनंतिम रूप दी जाती है:-

अनु क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति दी गई है/ नवीनीकृत की गई	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति दी गई है	संबंधित मंडी समिति/ समितियों के नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केन्द्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1	धान्य तथा दलहन	समस्त अधिसूचित मण्डी क्षेत्र	समस्त अधिसूचित कृषि उपज मंडी समिति	-	हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) कॉरपोरेट ऑफिस, सेक्टर 5, पंचकुला हरियाणा	हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) कॉरपोरेट ऑफिस, सेक्टर 5, पंचकुला हरियाणा

2 इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष मे समस्त क्रय केंद्रों में मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करे:

अनु क्र0	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा (मेट्रिक टन में {नियम 4 (2) देखिए}
1	धान्य तथा दलहन	2000 मेट्रिक टन

3 अनुज्ञप्तिधारी, इस अनुज्ञप्ति के दिये जाने/नवीनीकृत किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट क्रय केन्द्र पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगाः-

1. इलेक्ट्रानिक वे ब्रिज
2. पेयजल की समुचित व्यवस्था .
3. समुचित प्रकाश व्यवस्था
4. पुरूष/महिला के लिये शौचालय की सुविधा
5. शेड की व्यवस्था
6. कृषको के लिये छायादार विश्राम स्थल
7. भुगतान काउन्टर
8. टेक्टर ट्राली की पार्किग की समूचित व्यवस्था
9. नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिये उपकरण तथा मानव शक्ति
10. प्रवेश, विक्रय-क्रय, भुगतान तथा तौल काउन्टरों/ क्षेत्रों पर सीसीटीव्ही कैमरे स्थापना।
11. क्रय-विक्रय लेखा की मैन्युअल के साथ ही डिजीटल बैकअप प्रणाली संधारण।

4 यह विशेष अंनतिम अनुज्ञप्ति दिनांक 13/05/2022 से 12/05/2023 तक प्रभावशील रहेगी, परन्तु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रंदद की जा सकेगी।

5 यह अंनतिम अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रदद की जा सकेगी:-

(एक) विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र मे कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर.

(दो) मण्डी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर.

(तीन) मण्डी फीस का अपंवचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मण्डी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाये जाने पर.

(चार) मण्डी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाये जाने पर.

(पाँच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गयी उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियाँ प्रस्तुत न करने पर.

(छ) बोर्ड, मण्डी समिति से जारी किये गये निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाये जाने पर.

(सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किये जाने पर.

18/01/25

अनुज्ञप्ति जारीकर्ता
कार्यालय की मोहर

अधिसूचित प्राधिकारी/ अधिकारी
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल